



भारत सरकार
Government of India
विद्युत मंत्रालय
Ministry of Power
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
Central Electricity Authority
मानव संसाधन विकास प्रभाग
Human Resource Development Division

सं.- 13/2/2023-मा.स.वि./3006

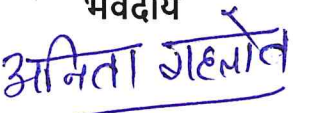
दिनांक-21/11/2023

कार्यालय ज्ञापन

विद्युत क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए के.वि.प्रा. दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार प्रशिक्षण संस्थान की मान्यता के नए/नवीनीकरण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

प्रशिक्षण संस्थान के प्रकार	नवीन मान्यता हेतु	मान्यता के नवीनीकरण के लिए
श्रेणी-I (स्नातक/डिप्लोमा धारकों के लिए)	रु.1,50,000/-	रु.1,25,000/-
श्रेणी-II (आईटीआई/गैर-योग्य तकनीशियनों के लिए)	रु. 1,00,000/-	रु. 60,000/-

यह संशोधित शुल्क इस पत्र के जारी होने पर या उसके बाद प्राप्त आवेदनों के लिए लागू है।

भवदीय

(अनिता गहलोत)
निदेशक (मा.स.वि.)